





आदेश की क्रमांक/तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश पर की गई कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date								
03-02-2022	<p style="text-align: center;">न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)। U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973 दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-06/2016-17</p> <p>1. अब्दुल मजीद, पे०-स्व० रौशन अली, सा०-रड़गाँव, थाना-तमाड़, जिला-राँचीअपीलार्थी। बनाम</p> <p>1. मो० सहजाद आलम, पे०-मो० अशगर अली 2. हैदर अली, पे० स्व० शेख कासीम, 3. अबु बकर उर्फ तुफान, पे० स्व० शेख कासीम, सभी सा०-रड़गाँव, थाना-तमाड़, जिला-राँचीद्वितीय पक्ष।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से द्वितीय पक्ष के विरुद्ध अंचल अधिकारी, तमाड़ के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०- 52 R 27/2015-16/तमाड़ में दिनांक-26/12/2015 को निम्नलिखित भूमि का नामांतरण स्वीकृत किये जाने को लेकर यह अपील वाद दायर किया है।</p> <p style="text-align: center;">भूमि विवरणी</p> <table border="1" data-bbox="279 1052 1364 1153"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>खाता संख्या</th> <th>खेसरा संख्या</th> <th>रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>रड़गाँव</td> <td>32</td> <td>1389</td> <td>0.52 एकड़</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।</p> <p>द्वितीय पक्ष का कारण-पृच्छा:-</p> <p>द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कारण पृच्छा के अनुसार उपरोक्त भूमि आर०एस० खतियान में अब्दुल कयूम वो मोहम्मद इदरिस पेशरान हाफीज सलामतुललाह के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने दिनांक 17.0.1942 को उपरोक्त खेसरा सं० 1389 रकवा 1 एकड़ जमीन एवं अन्य जमीन शेख हासिम वो हैदर अली दोनों पिता शेख कासिम को बिक्री कर दिया। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात शेख हासिम वो हैदर अली के दखल एवं कागजात के आधार पर अंचल कार्यालय, तमाड़ में पंजी।। में नाम दर्ज हुआ एवं सरकार को मालगुजारी अदा करने लगे। उपरोक्त जमीन के क्रेता हैदर अली तथा शेख हासिम के तीन पुत्र क्रमशः 1) अबु बकर 2) शेख मुख्तर 3) शेख कलन्दर ने अपीलीय भूमि को द्वितीय पक्ष क्रमांक-1 को निबंधित केवाला संख्या-65/59 द्वारा दिनांक-18.02.2014 को विक्रय कर दिया। जिसके पश्चात द्वितीय पक्ष क्रमांक-1 अपने खरीदगी भूमि पर दखलकार होकर अंचल कार्यालय, तमाड़ में नामांतरण मुकदमा सं०- 52 R 27/2015-16/तमाड़ द्वारा दाखिल खारिज कराकर सरकार को मालगुजारी अदा करने लगे। अपीलार्थी का खरीदगी भूमि पर एक दिन के लिए भी दखलकार नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया अपील पूर्ण रूप से गलत है तथा खारिज योग्य है।</p> <p>द्वितीय पक्ष की ओर से अपने समर्थन में निम्नांकित कागजातों की छायाप्रति दाखिल की गयी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आर०एस० खतियान। 2. विपक्षी सहजाद आलम द्वारा क्रय की गई रजिस्ट्री पट्टा। 3. विपक्षी के नाम पर निर्गत करेक्सन स्लिप। 	मौजा	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा	रड़गाँव	32	1389	0.52 एकड़	
मौजा	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकवा							
रड़गाँव	32	1389	0.52 एकड़							

आदेश की क्रमांक/ तिथि Order No./Date *	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश पर की गई कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date
	<p>1. वाद से संबंधित जमीन पर विपक्षी का दस रुम का दुकान एवं घर है (फोटोग्राफ)।</p> <p>2. विपक्षी शहजाद आलम ने जिनसे जमीन क्रय किया है उसके नाम से निर्गत मालगुजारी रसीद।</p> <p>3. ऑनलाईन पंजी।।।</p> <p>अपीलार्थी का प्रत्युत्तर:-</p> <p>अपीलार्थी की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर के अनुसार विवादित प्लॉट के आलवा अन्य प्लॉट को अपीलकर्ता के पिता रोशन अली ने दिनांक-03.07.1941 को खतियानी रैयत से क्रय किया है, तब से दखलकार है, जमींदारी उन्मूलन से पहले वे जमींदार को मालगुजारी देते थे और जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार को माल अदा करते हैं। पंजी।। में अपीलार्थी के पिता रोशन अली का नाम है। अपीलार्थी के द्वारा अंचल कार्यालय, तमाड़ में पंजी।। सुधार हेतु वाद संख्या-06/2014 दायर किया गया है जो वर्तमान में लंबित है, जबकि उसी जमीन का दाखिल खारिज निम्न न्यायालय द्वारा कर दिया गया। इसलिए यह अपील स्वीकर योग्य है। विवादित भूमि को अपीलार्थी के पिता रोशन अली ने वर्ष 1941 में ही खरीदा है एवं तब से दखलकार भी है, इस प्रकार दिनांक-18.02.2014 के रजिस्ट्री पट्टा का न्याय के दृष्टि में कोई महत्व नहीं है।</p> <p>अपलार्थी की ओर से अपने समर्थन में सिर्फ मालगुजारी रसीद की छायाप्रति एवं खतियान की छायाप्रति दाखिल की गयी।</p> <p>नामांतरण मुकदमा सं०- 52 R 27/2015-16/तमाड़ का ऑनलाईन जनित Mutation Details (म्यूटेशन आवेदन की स्थिति) के में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि पर क्रेता का दखल है। वाद में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर अंचल अधिकारी, तमाड़ के द्वारा उपरोक्त भूमि का नामांतरण स्वीकृत किया गया है।</p> <p>उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता के पिता रोशन अली द्वारा दिनांक-03.07.1941 को खतियानी रैयत से क्रय किये जाने के आधार पर अपीलीय भूमि पर अपीलकर्ता का दावा है। जबकि निबंधित केवाला संख्या-65/59 द्वारा दिनांक-18.02.2014 द्वारा प्राप्त किये जाने के आधार पर विपक्षी का दावा है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदानुसार अपीलीय भूमि पर विपक्षी क्रमांक-01 का दखल है। अपीलार्थी को उक्त भूमि के स्वत्व हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह अपील अस्वीकृत की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू(राँची)।</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू(राँची)।</p> </div> </div>	

आदेश की क्रमांक/तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश पर की गई कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date
14.12.2022	<p style="text-align: center;">न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)। U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973 दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-06/2016-17</p> <p>1. अब्दुल मजीद, पे०-स्व० रौशन अली, सा०-रड़गाँव, थाना-तमाड़, जिला-राँचीअपीलार्थी। बनाम</p> <p>1. मो० सहजाद आलम, पे०-मो० अशगर अली 2. हैदर अली, पे० स्व० शेख कासीम, 3. अबु बकर उर्फ तुफान, पे० स्व० शेख कासीम, सभी सा०-रड़गाँव, थाना-तमाड़, जिला-राँची (झारखण्ड)..... ..द्वितीय पक्ष।</p> <p style="text-align: center;">संशोधित आदेश</p> <p>आज अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद में दिनांक-03.02.2022 को पारित आदेश के प्रथम पृष्ठ के तीसरा पारा की तीसरी पंक्ति में लिपिकीय भूल के कारण "दिनांक-17.0.1942" टंकित हो गयी है, जिसे स्वप्रेरणा से संशोधित करने की आवश्यकता है।</p> <p>अतः सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 की धारा-52 में प्रदत्त शक्ति के आधार पर इस वाद में दिनांक-03.02.2022 को पारित आदेश के प्रथम पृष्ठ के तीसरा पारा की तीसरी पंक्ति में आंशिक संशोधन करते हुए "दिनांक-17.0.1942" के स्थान पर "दिनांक-17.05.1942" अंकित किया जाता है। पूर्व में पारित आदेश दिनांक-03.02.2022 को इस हद तक संशोधित समझा जाए। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू(राँची)।</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू(राँची)।</p>	